राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 84/2025 अपील

भैरूलाल पुत्र नानू तेली निवासी रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
विरूद्ध उप–तहसीलदार रायला द्वारा धारा–91 के तहत पारित निर्णय दिनांकित
22/02/2022

उपस्थित –

1. राजकीय पेरोकार, प्रत्यर्थीगण की ओर से

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 6/04/2026

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट अनुसार मातहत अदालत ने मौके का निरीक्षण एवं नाप चोप किए बिना ही अपीलाण्ट को आराजी संख्या 1343 का अतिक्रमी घोषित किया। अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1344 से लगायत 1350, 1363, 1364 वाके ग्राम रायला तहसील बनेडा में स्थित है जिस पर अपीलाण्ट ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आ.न 1343 जो कि आ.न 1344 के सटमा है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके यहां चल रहे इस प्रकरण में उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। अतः तहसीलदार बनेडा का उक्त आदेश दिनांक 22/02/2022 रिमाण्ड फरमाया जाए।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किए। राजकीय पेरोकार उपस्थित। अपीलाण्ट ने 22/01/2026 को उपस्थिति दी। दौराने बहस व निर्णय अपीलाण्ट अनुपस्थित रहा। कब्जा व काश्त संबंधित कोई प्रमाण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

राजकीय पेरोकार ने दौराने बहस बताया कि अपीलाण्ट ने आराजी नम्बर 1343 में से 0.01 बीघा पर दिवार का अवैध कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट ने राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है इसलिए उप–तहसीलदार रायला द्वारा कार्यवाही अंतर्गत धारा 91 भू0राजस्व अधिनियम,1956 सही होकर अतिक्रमी पर नियमानुसार शास्ति लगाई गई है। अतः अपील खारिज फरमावें।

6-4-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त मनन किया गया। बहस सुनी गई। विवेचन उपरान्त पाया गया कि अपीलाण्ट भैरूलाल पुत्र नानू तेली का राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण होने से उप–तहसीलदार रायला द्वारा नियमानुसार ही धारा–91 के तहत निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया किन्तु उसने कब्जा काश्त का कोई सबूत अधीनस्थ न्यायालय एवं अपील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया। अपीलाण्ट की अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आधारहीन व सारहीन ठहरती है, अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 अपील आधारहीन व सारहीन है। अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार रायला के बप्रकरण फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति में भैरूलाल तेली के हस्ताक्षर है, जिसमें भैरूलाल तेली को उचित सुनवाई का समय दिया गया था। किन्तु अपीलाण्ट द्वारा कब्जा–काश्त का कोई जवाब/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति उप–तहसीलदार रायला को प्रेषित की जाए।

निर्णय आज दिनांक 6.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा